



# Bank of Maharashtra

AX1/ISD/STEX/26/2026-27

Date: 06.06.2026

<b>The Vice President</b> <b>BSE Ltd.,</b> <b>P.J Towers,</b> <b>Dalal Street,</b> <b>Mumbai-400 001</b>	<b>The Vice President</b> <b>National Stock Exchange of India Ltd.,</b> <b>Exchange Plaza,</b> <b>Bandra Kurla Complex,</b> <b>Bandra (East), Mumbai-400 051</b>
<b>BSE Scrip Code: 532525</b>	<b>NSE Scrip Code: MAHABANK</b>

Dear Sir / Madam,

**Sub : Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Bank**

With reference to the captioned subject, please find enclosed the Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled on **Tuesday, 30<sup>th</sup> June 2026** at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Following agenda items will be transacted at the AGM:

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>
	<b>Ordinary Business:</b>
1	To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March, 2026, and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's report on the Balance sheet and accounts.
2	To declare dividend on the Equity Shares of the Bank for the FY 2025-26
	<b>Special Business:</b>
3	To approve the appointment of Shri Sushanta Kumar Mohanty as Executive Director
4	To consider raising of Equity Capital aggregate upto Rs.7,500/- crore through various modes as mentioned in the Notice.

**Record Date for Dividend:** As informed earlier vide our letter no. AX1/ISD/STEX/25/2026-27 dated 01.06.2026, the Bank has fixed Friday, 5th June, 2026 as the Record Date for determining the entitlement of members to dividend for the Financial Year 2025-26. The payment of dividend is subject to the Shareholder's approval at the 23rd Annual General Meeting of the Bank and subject to deduction of tax at source.

**Cut- Off Date for all Agenda Items :** Voting rights of the Shareholders in respect of all agenda items shall be reckoned as on Tuesday, 23rd June 2026.

**E-voting period:** The remote e-voting period shall commence on from 09:00 a.m. on Thursday, 25th June, 2026 till 05:00 p.m. on Monday, 29th June, 2026.

Please disseminate the above-mentioned information for the benefit of all shareholders.

Yours faithfully,

**Bank of Maharashtra**

**(Vishal Sethia)**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**Encl: As above**

**प्रधान कार्यालय / Head Office:** "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

**कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office:** 134/1, Mont Claire, Baner- Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021

टेली / Tel.: 020 71658139 ईमेल / Email: investor\_services@bankofmaharashtra.bank.in वेबसाइट / Website: www.bankofmaharashtra.bank.in



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

## 23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

दिनांक: मंगलवार, 30 जून, 2026

## Notice for 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting

Date: Tuesday, 30<sup>th</sup> June, 2026





अनुसूची / INDEX

1	नोटिस	01
2	टिप्पणियां	05
3	ई-वोटिंग प्रक्रिया	11
4	एजेंडा मद क्रमांक 3 से 4 के लिए स्पष्टीकरण कथन	16
5	Notice	18
6	Notes	22
7	E-voting Process	27
8	Explanatory Statement for Agenda Items No.3 To 4	31

23वीं वार्षिक आम बैठक / 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम / Important Dates And Programme

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Dates
लाभांश का रिकॉर्ड दिनांक Record Date for Dividend	शुक्रवार, 5 जून, 2026 Friday, 5 <sup>th</sup> June, 2026
ई-वोटिंग अवधि E-voting period	गुरुवार, 25 जून, 2026 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार, 29 जून, 2026 को शाम 5.00 बजे तक। From 09:00 a.m. on Thursday, 25 <sup>th</sup> June, 2026 till 05:00 p.m. on Monday, 29 <sup>th</sup> June, 2026
वार्षिक आम बैठक का दिनांक और समय Date and time of Annual General Meeting	मंगलवार, 30 जून, 2026 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा Tuesday, 30 <sup>th</sup> June, 2026 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: कृपया बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा ई-वोटिंग, सहभाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए पृष्ठ संख्या 12 से 18 देखें।

Note: Please refer to page no. 27 to 30 for instructions related to e-voting, participation and joining the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting of Bank through VC or OAVM.



कॉर्पोरेट कार्यालय: 134/1, 'मॉन्टक्लेयर' बाणेर - पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे- 411021  
प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

## नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की तेईसवीं (23वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 जून, 2026 को सुबह 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी :

### सामान्य कारोबार:

#### एजेंडा मद क्रमांक 1

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों और कार्य पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट तथा खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

#### एजेंडा मद क्रमांक 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

### विशेष कारोबार:

#### एजेंडा मद क्रमांक 3

कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुशांता कुमार मोहंती की नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो इसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17(1C) के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए अगली आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री सुशांता कुमार मोहंती की नियुक्ति के लिए बैंक के शेयरधारकों से साधारण प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 4/4/2024-बीओ.1 माध्यम से की गई थी।

#### एजेंडा मद क्रमांक 4

लागू सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार बेसल III के तहत सीआरएआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत सरकार/एलआईसी/एफआई को तरजीही आवंटन के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके और/या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/राइट्स/ईएसपीएस इश्यू आदि के माध्यम से और/या बेसल III एडिशनल टियर I बॉन्ड और/या टियर II बॉन्ड के माध्यम से इक्विटी पूंजी के रूप में रुपये 7,500/- करोड़ (सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

इस पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है:



**“प्रस्ताव किया जाता है कि** भारत सरकार/ एलआईसी/ एफएल को वरीयता आवंटन के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके और/या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ राइट्स/ ईएसपीएस इश्यू आदि के माध्यम से तथा/या बेसल III एडिशनल टियर I बॉन्ड और/या टियर II बॉन्ड जारी करके बेसल III के तहत सीआरएआर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लागू कानूनों के अनुसार लागू अनुमोदनों के अधीन, 7500 करोड़ रुपये (सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक की पूंजी जुटाने की स्वीकृति दी जाती है।”

**“प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“योजना”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“विनियम”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूंजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) के अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर रु.10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो रु.7500/- करोड़ (रु.सात हजार पांच सौ करोड़ मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), कंपनियों - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों (“एफपीआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों /प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

**यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** इस प्रकार का प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

**यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।



**यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतों) नियमों, 2019 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में उल्लिखित है, के अंतर्गत प्लेसमेंट दस्तावेज़/लेखन/परिपत्र/ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का हिस्सा 51% से कम न हो।

**यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में –

- क) प्रतिभूतियों का आवंटन केवल आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के अंतर्गत आने वाले योग्य संस्थागत खरीदारों को ही किया जाएगा; ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आवंटन इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीनों के भीतर, या समय-समय पर जारी किए गए आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के अनुसरण में, बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर जारी कर सकता है।
- ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

**"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** निदेशक मंडल को भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते/ देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को निदेशक मण्डल की सहमति के अनुसार स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।"

**"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन लेकिन उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।"

**"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।"

**"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।"



**“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स), अग्रणी प्रबंधक(कों), हामीदार(रों), निक्षेपक(कों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।”

**“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटर्स), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।”

**“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।”

**“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल को इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कार्य, कृत्य, कर्म और कार्य करे जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे; तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करे; और इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, कर्म और कार्य करे तथा सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और निष्पादित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हों, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित या वांछनीय समझे और ऐसा करने के लिए उसे शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी; इस आशय और उद्देश्य के साथ कि, इस प्रस्ताव के अधिकार के अंतर्गत, यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी स्पष्ट स्वीकृति प्रदान कर दी है।”

**“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि** निदेशक मंडल को एतद्वारा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/(निदेशकों) या बैंक का ऐसा कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 06 जून, 2026  
स्थान : पुणे

(विशाल सेठिया)  
कंपनी सचिव एवं बोर्ड सचिव



टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण एजेंडा क्र. 3 और 4 में संलग्न किए गए हैं और यह नोटिस का ही एक हिस्सा है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से एजीएम का आयोजन ("ई-एजीएम"):

क. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसी परिपत्रों") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के द्वारा वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित करने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, और बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के प्रावधानों का पालन करते हुए, बैंक की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें शेयरधारकों को किसी एक स्थान पर शारीरिक रूप से मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। एजीएम का मान्य स्थल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा, जो पुणे में स्थित है।

ख. बैंक एमसीए परिपत्रों में बताए गए सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में किसी भी तरह की रुकावट या विफलता से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कर ली है। बैंक बैठक की गरिमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त और उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

ग. सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट देने की सुविधा प्रधान करेगा, ताकि एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सहभाग लिया जा सके और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की जा सके। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में वोट देने से जुड़े विस्तृत निर्देश नीचे अलग से दिए गए हैं।

घ. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 के अंतर्गत आवश्यक होने के बावजूद, इस नोटिस के साथ रूट मैप नहीं संलग्न किया गया है।

ङ. सेबी और एमसीए के मौजूदा परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार, एजीएम की नोटिस की प्रतियां भौतिक रूप में नहीं भेजी जाएंगी, बल्कि उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते बैंक के शेयरधारकों के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एजीएम का नोटिस बैंक की वेबसाइट [www.bankofmaharashtra.bank.in](http://www.bankofmaharashtra.bank.in) पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात; बीएसई लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार की वेबसाइटों [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर, और सीडीएसएल की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगा।

च. बैंक के ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने बैंक/डिपॉज़िटरी/आरटीए के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in) / [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com) पर ईमेल भेजकर एजीएम का नोटिस प्राप्त कर सकते हैं।

छ. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

ज. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद तक वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

झ. संयुक्त धारकों के मामले में, बैंक के सदस्य रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में जिस सदस्य का नाम प्रथम धारक के रूप में दर्ज है, वही वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मतदान करने का पात्र होगा।



### 3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम माध्यम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तथा किसी भी स्थिति में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, एजीएम के लिए शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अतः, प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु लिखत इस एजीएम सूचना के साथ संलग्न नहीं की जा रही है।

### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक सहभाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor\_services@mahabank.co.in पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात् वृहस्पतिवार 25 जून, 2026 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

### 5. बैंक की एजीएम की सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करने की प्रक्रिया:

**भौतिक शेयरधारकों के लिए :** भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक (जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं), बैंक के आरटीए के पास अपने बैंक खाते के ब्यौरों को अद्यतित करने और अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए या तो विधिवत भरे हुए **आईएसआर -1** फॉर्म की भौतिक प्रति एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 3बी3, तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खैरानी रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400072 पर भेज सकते हैं या (बैंक के आरटीए की ई-मेल आईडी) mparase@mcsregistrars.com पर मेल भेज सकते हैं।

**डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए :** डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करने वाले और जिनके ई-मेल आईडी/ बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत नहीं हैं ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपनी संबंधित डिपॉजिटरियों के पास अपने ई-मेल पते, मोबाइल क्रमांक और बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत/ अद्यतित करें।

### 6. मतदान अधिकार:

**सभी कार्यसूची मद्दों के लिए,** बैंक ने सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अंतर्गत शेयरधारकों के मतदान अधिकार निर्धारित करने के लिए **मंगलवार, 23 जून, 2026** को कट-ऑफ तिथि तय की है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने अधिकारी नहीं होगा।

अतः इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियमन 10 (यथासंशोधित) के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से पंजीकृत है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

### 7. लाभांश के लिए नियत दिनांक :

बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 5 जून, 2026** नियत दिनांक निर्धारित की गई है।



#### 8. लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मंडल ने 20 अप्रैल, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त रु.10/- प्रत्येक के रु.1.20 प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है। यह वित्तीय वर्ष के दौरान 13.01.2026 को घोषित और भुगतान किए गए ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर (10%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित और बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होने पर, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन, लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

- क. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरियों (अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सूची के अनुसार शुक्रवार, 5 जून, 2026 को व्यवसाय घंटे की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में हैं और;
- ख. शुक्रवार, 5 जून, 2026 को या उसके पूर्व बैंक के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज अनुरोधित सभी वैध अंतरणों और प्रतिस्थापन हेतु प्रभाव देने के पश्चात कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में है।
- ग. लाभांश का वितरण वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से एक माह के अंदर पात्र शेयरधारकों को कर दिया जाएगा

#### 9. लाभांश पर टीडीएस :

- क. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य होती है तथा बैंक को शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती निर्धारित दरों पर करना आवश्यक होता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट दरों हेतु शेयरधारकों के अनुरोध हेतु आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में) और डिपॉजिटरियों (डीमैट रूप में शेयर धारित करने के मामले में) के पास अपने पैन अद्यतित करें।
- ख. कोई निवासी वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो आयकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वह स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने का लाभ प्राप्त करने हेतु आरटीए को ई-मेल द्वारा फॉर्म 121 एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि नोट करें कि यदि उनके पैन पंजीकृत नहीं हैं तो 20% की उच्च दर पर कर की कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक अपने निवास के देश और भारत के बीच कराधान संधि के अंतर्गत लाभ दरें प्राप्त कर सकते हैं जो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है यथा स्थायी प्रतिष्ठान तथा लाभार्थी स्वामित्व न होने की घोषणा, कर निवासी प्रमाणपत्र, फॉर्म 41 , कोई अन्य दस्तावेज जो mparase@mcsreigistrars.com पर आरटीए को ई-मेल भेजकर कराधान संधि के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो सकता है।
- ग. शेयरहोल्डर द्वारा उक्त घोषणाएं और दस्तावेज 10 जून, 2026 या उससे पूर्व mparase@mcsreigistrars.com पर मेल द्वारा प्रस्तुत जाना आवश्यक है ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर कटौती की दर का निर्धारण कर सकें। कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर 10 जून, 2026 के पश्चात बैंक द्वारा किसी भी संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक ने इस संबंध में शेयरधारकों को ईमेल भी भेजे हैं। बैंक ने इस संबंध में शेयरधारकों को ई-मेल भी भेजे हैं।

- 10. बैंक के ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने बैंक/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे investor\_services@bankofmaharashtra.bank.in/ mparase@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सेबी के दिशानिर्देशों में नवीनतम संशोधनों के अनुसार, बैंक ने उन शेयरधारकों को भी सूचना भेजी है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/ बैंक के आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें उन्हें बैंक की वेबसाइट का वह पाथ (लिंक) सूचित किया गया है जहाँ वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना उपलब्ध होगी।



**11. बैंक के भौतिक शेयरधारकों हेतु पैन, केवाईसी, बैंक ब्यौरे और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:**

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 3 नवंबर 2021 क्रमांक सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी\_आरटीएएमबी/ पी/ सीआईआर/ 2021/ 655 के अधिक्रमण में दिनांक 16.03.2023 के परिपत्र क्रमांक सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/ सीआईआर/ 2023/37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतिधारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र.	फॉर्म	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज/ अद्यतित करने हेतु
2	फॉर्म आईएसआर - 2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने हेतु
3	फॉर्म आईएसआर - 3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच - 13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच - 14	नामांकन को रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उक्त सभी फॉर्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 और एसएच-14] तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी निवेशक संबंध कॉर्नर > शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा > सेबी परिपत्र दिनांक 16.03.2023 के <https://bankofmaharashtra.bank.in/sebi-circular-dated-16032023> के अंतर्गत उपलब्ध हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे बैंक के आरटीए को निम्नलिखित पते पर सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म प्रस्तुत करें:

**आरटीए का विवरण:**

**एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)**

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

**12. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग**

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अद्यतित करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

**13. शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण**

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी भी बदलाव की सूचना देने, शेयरों के हस्तांतरण का अनुरोध करने, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करवाने, ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम) मैडेट आदि के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

**एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)**

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com



#### 14. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना:

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक शेयरों का भौतिक रूप में अंतरण नहीं करेगा। भौतिक या डीमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का आगे का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में (शेयर सर्टिफिकेट) हैं, उनसे अनुरोध है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए उन्हें डीमैट रूप में बदल लें। शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन लिक्विडिटी भी बढ़ाता है, और शेयरहोल्डर अपने डीमैट अकाउंट से जुड़े डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए अपनी सुविधा के अनुसार शेयर बेच सकेंगे।

उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों, जिनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भौतिक शेयर हैं, उनसे एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ कर लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी एक में, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ज़रिए, डीमैट खाता खोल सकते हैं।

#### 15. शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन के लाभ :

**शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन के लाभ निम्नानुसार हैं:**

- शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने और खराब होने का कोई खतरा नहीं
- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई
- कम संव्यवहार लागत
- लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।

#### 16. अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण अधिनियम, 1970) की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए शेष अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश की ऐसी कोई भी राशि 'निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि' में अंतरित की गई है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22 से अपने लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

इसके अतिरिक्त, सेबी [लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 में 18 नवम्बर 2025 के संशोधन के अनुसार, विनियम 12 तथा अनुसूची-1 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए 'सममूल्य पर देय' वारंट/चेक जारी करने से संबंधित प्रावधान हटा दिए गए हैं।

उपर्युक्त विनियामक परिवर्तन के कारण:

- क.** भविष्य में सभी लाभांश भुगतान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से ही किए जाएंगे।
- ख.** बैंक अब भौतिक माध्यम जैसे 'सममूल्य पर देय' वारंट/चेक के माध्यम से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।



ग. जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत या अद्यतन नहीं कराया है, वे तब तक लाभांश प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक उक्त विवरण विधिवत पंजीकृत/अद्यतन नहीं हो जाते।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे:

घ. अपने बैंक खाते का विवरण संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट शेयरधारकों हेतु) अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (भौतिक शेयरधारकों हेतु) के पास सही रूप से पंजीकृत/अद्यतन कराएं, ताकि लाभांश का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुनिश्चित हो सके।

ङ. लाभांश संबंधी सूचनाएँ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार समय पर प्राप्त करने हेतु अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर अद्यतन करें।

### 17. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में शेयरों का अंतरण

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के प्रावधानों में 1 अगस्त, 2025 को किए गए संशोधन के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के साथ पठित और संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के अनुसार, यह आवश्यक है कि भौतिक और डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए वे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या उसका दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाए; सिवाय इसके कि जब किसी न्यायालय, अधिकरण या सांविधिक प्राधिकरण का कोई विशिष्ट आदेश हो जो ऐसे शेयरों को अंतरित करने से रोकता हो, या जब ऐसे शेयर डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत गिरवी या दृष्टिबंधक रखे गए हों।

इस संबंध में, बैंक ने दि. 31.03.2026 को अलग-अलग नोटिस ईमेल और/या भौतिक पत्रों के माध्यम से उन पात्र शेयरधारकों को भेजे हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं इन नोटिसों में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बैंक/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को लिखित रूप से अपने अदावाकृत लाभांश (डिविडेंड) का दावा करें।

बैंक ने अपनी वेबसाइट [www.bankofmaharashtra.bank.in](http://www.bankofmaharashtra.bank.in) पर संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण अपलोड कर दिया है, जिनके शेयर आईईपीएफ डिमैट खाते में अंतरित किए जाने हैं। बैंक ने 01 अप्रैल, 2026 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी दैनिक), लोकसत्ता (मराठी दैनिक) और जनसत्ता (हिंदी दैनिक) जैसे समाचार पत्रों में भी इस संबंध में एक नोटिस प्रकाशित किया है। इसके अलावा, बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को भी इस बारे में सूचित किया है।

यदि उक्त तिथि तक लाभांश (डिविडेंड) का दावा नहीं किया जाता है, तो नियमों के अनुसार, शेयरधारकों के पास रखे उन शेयरों को आईईपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए बैंक द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जो बिना किसी अन्य सूचना के अंतरण के पात्र हैं। आईईपीएफ में अंतरित किए गए ऐसे शेयरों और अदावाकृत लाभांश राशि के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस संबंध में अंतिम तिथि यानी 30 जून, 2026 को या उससे पहले दावा प्रस्तुत करें।

### 18. रिमोट ई-वोटिंग :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक और/या नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डिमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सभी शेयरधारकों के लिए **गुरुवार, 25 जून, 2026 को सुबह 09:00 बजे से सोमवार, 29 जून, 2026 को शाम 05:00 बजे तक** खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।



**19. ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के अनुदेश निम्नानुसार हैं:**

**चरण 1: डिमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एक्सेस।**

i. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 09 दिसंबर, 2020 क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> <li>जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट में लॉग-इन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर जाएं और लॉग-इन आइकन और मायईजी न्यू (टोकन: टैब पर क्लिक करें)।</li> <li>सफल लॉग-इन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग प्रक्रियारत है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</li> <li>यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर उपलब्ध है और लॉग-इन पर तथा माय ईजी न्यू (टोकन) पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</li> <li>वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डिमैट खाते में अभिलेखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकरण करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग प्रक्रियारत है और साथ ही, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।</li> </ol>
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> <li>यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a>। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</li> </ol>



शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
<p>एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" विकल्प चुनें या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</li> <li>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a>। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें, जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</li> <li>4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp</a> पर क्लिक करें। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</li> </ol>
<p>वैयक्तिक शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करें।</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क



लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क ब्यौरे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर: 1800 21 09911 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या फोन नंबर: 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

**चरण 2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सेस।**

**i. डी-मैट फॉर्म में वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारक और भौतिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन विधि।**

- शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन करें।
- शेयरहोल्डर" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
  - सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
  - एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी
  - भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।
- अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- यदि आपने अपने शेयर डी-मैट रूप में धारित किया है और [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी/बैंक की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाएगा।
- यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डी-मैट में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक के अलावा अन्य शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमैरिक *पैन प्रविष्ट करें। (डी-मैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों पर भी लागू) 1. जिन शेयरधारकों ने बैंक/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि बैंक/आरटीए द्वारा प्रेषित सिकेंस नंबर का उपयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्मतिथि (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए आपके डी-मैट खाते या कंपनी/बैंक के अभिलेख में दर्ज किए अनुसार जन्मतिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई प्रारूप में) या लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें 1. यदि डिपॉजिटरी या बैंक के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।



- ii ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- iii भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही कंपनी/बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- iv भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- v आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है, उस संबंधित <company/Bank name> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- vi वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/ नहीं" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- vii यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन्स फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- viii संकल्प का चयन करने के बाद, आपने वोट करने का निर्णय लिया है, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- ix एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- x आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xi यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।
- xii अपलोड किए गए बीआर/पीओए को अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- xiii गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट वोटिंग के लिए। गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन करना होगा और स्वयं को "कॉरपोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।

क. संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन कॉपी [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ई-मेल की जानी चाहिए।

ख. लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करके कम्प्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कम्प्लायंस यूजर उन खातों को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।

ग. लॉग-इन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में डीलिंग किया जा सकता है।

घ. यह अनिवार्य है कि बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन कॉपी, जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी की है, उसे जांचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

ङ. वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जांचकर्ता और कंपनी को ई-मेल पता यथा [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in) पर भेजना अनिवार्य है, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और उसे जांचने के लिए संवीक्षक हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

**बैठक के दौरान वीसी/ ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक में सहभाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।



**बैठक के दौरान वीसी/ ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक में सहभाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया, ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. बैठक में सहभाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सफल लॉग इन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले शेयरधारक बैठक में सहभाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हों।
5. शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उनके कैमरे की अनुमति देने और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो समस्या का अनुभव हो सकता है। अतः किसी भी प्रकार की उपरोक्त समस्याओं से बचाव के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सूचना दी जाती है।
7. शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे investor\_services@bankofmaharashtra.bank.in पर 22 जून, 2026 (शाम 5.00 बजे) या उससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जो वार्षिक आम बैठक के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके कोई प्रश्न हैं, वे 22 जून, 2026 (शाम 5.00 बजे) या उससे पहले investor\_services@bankofmaharashtra.bank.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा इन प्रश्नों का ईमेल के माध्यम से समुचित उत्तर दिया जाएगा।
8. वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान केवल अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वार्षिक आम बैठक में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कार्यसूची की मदों/प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
10. यदि वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि वही शेयरधारक वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट को अमान्य माना जा सकता है। क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा केवल बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

**उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हैं।**

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कंपनी / आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई आधार कार्ड की कॉपी)।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें, जो ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को भेजी जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।



## 20. वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग में संवीक्षक:

रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक के दौरान संचालित की जाने वाली ई-वोटिंग प्रक्रिया दोनों के लिए मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे, दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेगी।

## 21. ई-वोटिंग का परिणाम:

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में हुई वोटिंग के परिणामों को, रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी तत्काल प्रेषित किए जाएंगे।

### स्पष्टीकरण कथन:

#### एजेंडा मद क्र. 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुशांता कुमार मोहंती की नियुक्ति की स्वीकृति हेतु।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के पैराग्राफ 8(1), यथासंशोधित, के साथ पठित, भारत सरकार ने दिनांक 15 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना सं. eF. No. 4/4/2024-BO.। के माध्यम से श्री सुशांता कुमार मोहंती को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में, पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,

#### श्री सुशांता कुमार मोहंती का संक्षिप्त परिचय नीचे उल्लिखित है:

नाम	श्री सुशांता कुमार मोहंती
आयु	56 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.एससी., सीएआईआईबी
नियुक्ति की तिथि/ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	15.04.2026
नियुक्ति प्रावधान	बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के अंतर्गत नियुक्त
कार्यकाल	पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 15.04.2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।
संक्षिप्त विवरण	श्री सुशांता कुमार मोहंती बैंकिंग क्षेत्र के एक अनुभवी विशेषज्ञ हैं, जिन्हें बैंकिंग का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क (यूएसए) सहित विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं का निर्वहन किया है, जिनमें अंचल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, शाखा प्रमुख और प्रमुख - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ऋण एवं देयता प्रबंधन शामिल हैं। उन्होंने बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक और एफआईएमएमडीए में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में ट्रेजरी परिचालन (फ्रंट ऑफिस, विशिष्ट ट्रेजरी कार्य, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, देयता प्रबंधन), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ऋण, रिटेल एवं कॉर्पोरेट बैंकिंग परिचालन, विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) प्रबंधन आदि शामिल हैं।
वर्तमान निदेशकों के साथ संबंध	श्री सुशांता कुमार मोहंती का बैंक के किसी भी वर्तमान निदेशक के साथ कोई संबंध नहीं है।
घोषणा	श्री सुशांता कुमार मोहंती भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के किसी भी आदेश अथवा किसी अन्य नियामक/वैधानिक प्राधिकरण के आदेश के आधार पर निदेशक पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं हैं।



सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री सुशांता कुमार मोहंती की नियुक्ति के लिए बैंक के शेयरधारकों से साधारण प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन मांगा गया है।

श्री सुशांता कुमार मोहंती तथा उनके संबंधी, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, उनके नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव में हितधारक हैं। अन्य किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का उक्त प्रस्ताव से कोई हित जुड़ा नहीं है।

#### एजेंडा मद क्र. 4:

बेसल-III के अंतर्गत वर्तमान सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीआरएआर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, भारत सरकार/एलआईसी/वित्तीय संस्थानों को वरीयता आवंटन के आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम द्वारा तथा/अथवा क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)/कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) आदि के माध्यम से तथा/अथवा बेसल-III अतिरिक्त टियर-1 बांड तथा/या टियर-2 बांड के माध्यम से, अधिकतम ₹7,500 करोड़ (रुपये सात हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) तक पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को पुनर्पूँजीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार से न तो कोई इक्विटी पूंजी प्राप्त हुई, न ही इक्विटी निर्गम या बेसल-III बांड के माध्यम से पूंजी जुटाई गई। तथापि, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवर्तक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से शेयरों की बिक्री की गई, जिससे बैंक को सेबी विनियमों के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों की लक्ष्यपूर्ति में सहायता मिली।
- दिनांक 31 मार्च, 2026 को, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.36% रहा, जो बेसल-III मानकों के अंतर्गत निर्धारित विनियामक आवश्यकता 11.50% (जिसमें पूंजी संरक्षण बफर भी शामिल है) से पर्याप्त रूप से अधिक है। सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी1) पूंजी अनुपात 14.59% के सुदृढ़ स्तर पर रहा।
- वर्तमान सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेसल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, भारत सरकार/एलआईसी/वित्तीय संस्थानों (एफआई) को वरीयता आवंटन के आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम द्वारा तथा/अथवा क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)/कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) आदि के माध्यम से तथा/अथवा बेसल-III अतिरिक्त टियर-1 बांड एवं/या टियर-2 बांड के माध्यम से अधिकतम ₹7,500 करोड़ (रुपये सात हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) तक पूंजी जुटाने का प्रस्ताव किया जाना प्रस्तावित है। इन विकल्पों का उपयोग बैंक द्वारा आवश्यकता एवं सामयिक बाजार परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।
- उपर्युक्त अनुसार इक्विटी पूंजी का संवर्धन भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 में विनिर्दिष्ट अन्य सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन उपरांत किया जाएगा तथा यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/विनियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन रहेगा।
- देशक मंडल ने अपनी दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को आयोजित बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹7,500 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा की है।
- बैंक की अधिकृत पूंजी वर्तमान में ₹10,000 करोड़ है। दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति में बैंक की अदा की गई (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूंजी ₹7,691.56 करोड़ है।
- वर्तमान प्रस्ताव इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि बैंक उपयुक्त समय, माध्यम, प्रीमियम तथा अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयरों का निर्गम कर सके।

निर्गमित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, लाभांश सहित सभी संदर्भों में, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समतुल्य (Pari Passu) होंगे।

निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों में से किसी का भी इस प्रस्ताव में हित जुड़ा नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 06 जून, 2026  
स्थान : पुणे

(विशाल सेठिया)  
कंपनी सचिव एवं बोर्ड सचिव



**Corporate Office:** 134/1, Mont Claire, Baner- Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021

**Head Office:** "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

**NOTICE**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that **Twenty Third (23<sup>rd</sup>) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on **Tuesday, the 30th June, 2026 at 11.00 a.m.** (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business(es):

**ORDINARY BUSINESS:**

**Agenda Item No.1**

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2026, the report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

**Agenda Item No.2**

To declare Final Dividend on Equity Shares of the Bank for the Financial Year 2025-26.

**SPECIAL BUSINESS:**

**Agenda Item No. 3**

**To approve the appointment of Shri Sushanta Kumar Mohanty as Executive Director**

To consider and if thought fit, pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

As per Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board is taken at the next General Meeting. Accordingly, approval for appointment of Shri Sushanta Kumar Mohanty, Executive Director of the Bank needs to be sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution who was appointed by the Central Government vide Notification No. eF. No. 4/4/2024-BO.I dated 15th April, 2026

**Agenda Item No. 4**

**To consider the proposal of Raising of Capital upto Rs. 7,500/- crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore) by way of equity capital by issue of equity shares on preferential allotment basis to GOI/ LIC/ FI and /or by way of Qualified Institutional Placement (QIP) / Follow-on Public Offer (FPO)/ Rights/ ESPS Issue etc. and/or Basel III Additional Tier I Bonds and / or Tier II Bonds, to meet the CRAR requirement under Basel III as per extant SEBI guidelines.**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

**"RESOLVED THAT** the approval be and is hereby accorded for raising of capital up to Rs. 7500 crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore) by way of equity capital by issue of equity shares on preferential allotment basis to GOI/ LIC/ FI and /or by way of Qualified Institutional Placement (QIP) / Follow-on Public Offer (FPO)/ Rights/ ESPS Issue etc. and/or Basel III Additional Tier I Bonds and / or Tier II Bonds, to meet the CRAR requirement under Basel III as per extant SEBI guidelines as may be permitted under the applicable laws subject to necessary approvals."



**“RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“The Act”), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“The Scheme”) and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (“The Regulations”), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10/- each, aggregating to not more than Rs.7,500/- crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore only), (including premium) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Portfolio Investors (“FPIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

**“RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”



**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution or such other time as may be permitted under ICDR Regulations issued from time to time.
- b. The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.”



**“RESOLVED FURTHER THAT** such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of Board of Directors

**Date : 6<sup>th</sup> June, 2026**  
**Place : Pune**

**Vishal Sethia**  
Company Secretary & Board Secretary



NOTES

**1. EXPLANATORY STATEMENT(S):**

The Explanatory Statement(s) setting out the material facts in respect of the business at agenda no. 3 & 4 of the meeting is annexed hereto and forms part of the Notice.

**2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (“E-AGM”):**

- a. Pursuant to various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and by Securities and Exchange Board of India with regard to holding of Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The deemed venue of the AGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Pune.
- b. The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank will ensure sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
- d. As the AGM will be held through VC/OAVM facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- e. In line with extant SEBI and MCA Circulars/guidelines, copies of the Notice of AGM shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in the Shareholders Record of the Bank. Shareholders may note that the AGM Notice will also be available on the Bank’s website [www.bankofmaharashtra.bank.in](http://www.bankofmaharashtra.bank.in), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- f. Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM by sending email to [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in) / [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com).
- g. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
- h. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.
- i. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

**3. APPOINTMENT OF PROXY:**

Since the AGM will be held through VC/OAVM, where physical attendance of shareholders in any case has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies in terms of extant MCA/SEBI guidelines. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the shareholders will not be available for the AGM and as such, instrument for appointing proxy is not being attached with this AGM notice.

**4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

- a. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in), not less than four days before the date of meeting i.e., on or before 5.00 p.m. on Thursday, 25th June, 2026.



**5. PROCESS TO REGISTER THE EMAIL ID FOR RECEIVING BANK'S AGM NOTICE AND UPDATION OF BANK ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF DIVIDEND:**

**For Physical Shareholders:** Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in ISR-1 form to MCS Share Transfer Agent Ltd., 3B3 3rd Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai – 400072 or by sending mail at [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com) (Email-id of RTA of the Bank).

**For Shareholders holding shares in Demat form:** Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

**6. VOTING RIGHTS:**

For all the agenda Items, the Bank has fixed **Tuesday, 23rd June, 2026** as the Cut-off Date for determining the voting rights of shareholders in terms of provision under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

The shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further, as per Regulation 10 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

**7. RECORD DATE FOR DIVIDEND:**

The Bank has fixed **Friday, 5th June, 2026** as the Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2026.

**8. PAYMENT OF DIVIDEND:**

The Board of Directors of the Bank at their meeting held on 20<sup>th</sup> April, 2026 has recommended dividend @ Rs. 1.20 per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2026. This is in addition to the interim dividend of Rs.1.00 per equity share (10%) declared on 13.01.2026 and paid during the financial year. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting of Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

- As Beneficial Owners at the end of the business hours on 5<sup>th</sup> June, 2026 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e. NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form, and;
- As Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before Friday, 5<sup>th</sup> June, 2026.
- The dividend will be distributed to the eligible shareholders within one month from the date of AGM.

**9. TDS on Dividend:**

- Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).



- b. A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. form 121, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 41, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com)
- c. The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail on [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com) on or before 10<sup>th</sup> June, 2026 to enable the Bank to determine the TDS/withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank after 10<sup>th</sup> June, 2026. Bank has also sent emails to the shareholders in this regard.
10. Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM and Annual Report 2025-26 by sending email to [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in) / [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com). Further, in terms of recent amendments in SEBI guidelines, Bank has also sent a communication to those shareholders whose email ids are not registered with Bank/ Bank's RTA intimating them the path of Bank's website where Annual Report and AGM notice will be available.

**11. NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION FOR PHYSICAL SHAREHOLDERS OF THE BANK:**

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA. Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website under Investor Relations Corner>Important announcement for shareholders > SEBI Circular dated 16.03.2023 <https://bankofmaharashtra.bank.in/sebi-circular-dated-16032023>. In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address:

**Details of the RTA:**

**MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra)**

Address: 3B3 3rd Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai – 400072.

Phone : 022-28516021-22

E-mail : [mparase@mcsregistrars.com](mailto:mparase@mcsregistrars.com)

Website : [www.mcsregistrars.com](http://www.mcsregistrars.com)



## 12. HOLDING OF SHARES IN ELECTRONIC FORM

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

## 13. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address:

### **MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra)**

**Address:** 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400072.

Tel. 022 - **Phone** : 022-28516021-22

**E-mail** : mparase@mcsregistrars.com

**Website** : www.mcsregistrars.com

## 14. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

In terms of extant SEBI norms, Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. Accordingly, the shareholders holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to convert them to demat form to eliminate all risks associated with Physical shares. Dematerialization of shares also add to liquidity and the shareholder will be able to sell the shares as per his/her convenience through a Demat Trading Account linked to his/her Demat Account.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Bank of Maharashtra, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

## 15. BENEFITS OF DEMATERIALIZATION OF SHARES:

The benefits of dematerialization of shares are as under:

- No threat of loss and wear and tear of share certificate
- Easy and convenient way to hold securities
- Immediate transfer of securities
- Reduced paperwork for transfer of securities
- Reduced transaction cost
- Dividend directly credited to your Bank Account.

## 16. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants from the financial year 2021-22 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address.



Further, pursuant to the Amendment to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 dated 18th November, 2025, the provisions of Regulation 12 read with Schedule I have been amended by omitting the provisions relating to issuance of 'payable-at-par' warrants' / cheques.

Due to aforesaid regulatory change:

- a. All future dividend payments shall be made only through electronic mode of payment approved by the Reserve Bank of India.
- b. The Bank will not be paying dividend through physical modes i.e., payable-at-par' warrants' / cheques.
- c. Shareholders who have not registered or updated their bank account details will not be able to receive dividend until such details are duly registered/updated.

In view of the above, shareholders are requested to:

- d. Ensure that bank account details are correctly registered/updated with the respective Depository Participant (for demat shareholders) or with the Registrar and Share Transfer Agent (for physical shareholders) to enable electronic credit of dividend.
- e. Update their email address and mobile number for timely receipt of dividend intimations and other electronic communications.

#### 17. TRANSFER OF SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Pursuant to the amendment dated 1<sup>st</sup> August, 2025 to the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and the amended Investor Education and Protection Fund (IEPF) (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), requiring all shares held in physical and dematerialized form, in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more to be transferred to the IEPF unless there is specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996.

Apropos, Bank has sent individual notices dated 31.03.2026 through emails and/or physical letters to the eligible shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF requesting them to claim their unclaimed dividend(s) by writing to the Bank/ Registrar and Transfer Agent of the Bank viz., MCS Share Transfer Agent Limited.

The Bank has also uploaded complete details to the concerned shareholders whose shares are due for transfer to IEPF Demat Account on its website at [www.bankofmaharashtra.bank.in](http://www.bankofmaharashtra.bank.in). Bank has also published notice in the newspapers namely Financial Express (English Daily), Loksatta (Marathi Daily) and Jansatta (Hindi Daily) on 01st April, 2026. Further Bank has also filed an intimation on Stock Exchanges on the same.

In case, the dividend(s) are not claimed by the said date, necessary steps will be initiated by the Bank to transfer shares held by Shareholders which are due for transfer to IEPF without further notice, in accordance with the Rules. No claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

We request such shareholders to submit a claim in this regard on or before the last date i.e. **30<sup>th</sup> June, 2026**.

#### 18. REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Remote E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Cut – off Date may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Thursday, 25<sup>th</sup> June, 2026 till 05:00 p.m. on Monday, 29<sup>th</sup> June, 2026** and the e-voting platform will be disabled thereafter.



**19. THE INTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:**

**Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.**

- i. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding shares/securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	<ol style="list-style-type: none"> <li>Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login icon &amp; My Easi New (Token) Tab.</li> <li>After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</li> <li>If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login &amp; My Easi New (Token) Tab and then click on registration option.</li> <li>Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from e-Voting link available on <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</li> </ol>
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	<ol style="list-style-type: none"> <li>If user is already registered for NSDL IDeAS facility, he/she is required to visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. User will have to enter User ID and Password. After successful authentication, he/she will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and he/she will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and he/she will be re-directed to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a>. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at <a href="https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> <li>Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsd.com/">https://www.evoting.nsd.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. User will have to enter his/her User ID (i.e. sixteen digit demat account number holding with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> </ol>



Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	4) For OTP based login, user can click on <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp</a> . User will have to enter their 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and user will be re-directed to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	User can also login using the login credentials of their demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, user will be able to see e-Voting option. Once they click on e-Voting option, they will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein they can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and they will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cslindia.com">helpdesk.evoting@cslindia.com</a> or contact at toll free No. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

**Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.**

**i. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

1. The shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
2. Click on "Shareholders" module.
3. Now enter your User ID
  - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
5. If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.
6. If you are a first-time user follow the steps given below:



	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> <li>Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.</li> </ul>
Dividend Bank Details <b>OR</b> Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company/Bank records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> <li>If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field.</li> </ul>

- iii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- iv. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company/Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat account holders for voting on resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- v. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- vi. Click on the EVSN for the relevant <Company/Bank Name> on which you choose to vote.
- vii. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- viii. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- ix. After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- x. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xi. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xii. If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xiii. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xiv. Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote e-Voting Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
  - a. A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
  - b. After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
  - c. The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & will be delink in case of any wrong mapping.
  - d. It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
  - e. Alternatively, Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; investor\_services@bankofmaharashtra.bank.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.



**INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:**

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/iPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request on or before 22nd June, 2026 (5.00 pm) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in). The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries on or before 22nd June, 2026 (5.00 pm) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in). These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Agenda Items/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

**PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED IN SHAREHOLDER RECORD OF THE BANK/DEPOSITORIES.**

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to /RTA email id [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com).
  2. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
- For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.
- 3.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, the Shareholder can write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, (Central Depository Services (India) Limited), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call toll free no. 1800 21 09911.



## 20. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT AGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the AGM.

## 21. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting during the meeting aggregated with the results of the Remote e-voting shall be placed on the website of the Bank [www.bankofmaharashtra.bank.in](http://www.bankofmaharashtra.bank.in) and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Bank. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

### EXPLANATORY STATEMENT

#### Agenda Item No.3:

#### TO APPROVE APPOINTMENT OF SHRI SUSHANTA KUMAR MOHANTY AS EXECUTIVE DIRECTOR OF THE BANK

In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, the Central Government vide Notification No. eF. No. 4/4/2024-BO.I dated 15th April, 2026 has appointed Shri Sushanta Kumar Mohanty as an Executive Director of Bank of Maharashtra, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

The brief profile of Shri Sushanta Kumar Mohanty is mentioned below:

Name	Sushanta Kumar Mohanty
Age	56 years
Education Qualification	B.Sc., CAIIB
Date of Appointment/ Date of Assumption of charge	15.04.2026
Appointment clause	Appointed under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
Tenure	For a period of three years with effect from the date of assumption of office i.e. from 15.04.2026 or until further orders, whichever is earlier.
Brief profile	Shri Sushanta Kumar Mohanty is an industry veteran with over 30 years of banking experience. He started his career as a Probationary Officer with Bank of Baroda. He held various leadership roles including Zonal Head, Regional Head, Branch Head and Head - International Banking Credit & Liabilities Management, with domestic and international postings including New York (USA) at Bank of Baroda. He had also served as Director at Baroda U.P. Gramin Bank and FIMMDA. His areas of expertise include Treasury Operations (front office, specialised treasury functions, international banking, liabilities management), International Banking Credit, Retail & Corporate Banking Operations, Forex Management etc.
Relationship with existing Directors	Shri Sushanta Kumar Mohanty does not have any relationship with any existing Directors of the Bank.
Declaration	Shri Sushanta Kumar Mohanty is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other regulatory/statutory authority.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, approval for appointment of Shri Sushanta Kumar Mohanty, Executive Director of the Bank is sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution.

Shri Sushanta Kumar Mohanty, and his relatives, to the extent of their shareholding in the Bank are interested in the Resolution relating to his appointment. None of the Other Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are interested in the Resolution.



**Agenda Item No. 4:**

To consider the proposal of Raising of Capital upto Rs. 7,500/- crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore) by way of equity capital by issue of equity shares on preferential allotment basis to GOI/ LIC/ FI and /or by way of Qualified Institutional Placement (QIP) / Follow-on Public Offer (FPO)/ Rights/ ESPS Issue etc. and/or Basel III Additional Tier I Bonds and / or Tier II Bonds, to meet the CRAR requirement under Basel III as per extant SEBI guidelines.

- i. During the financial year 2025-26, Bank has neither received any equity capital from GOI under recapitalization plan nor raised capital through equity issuance or Basel III bonds. However, in the FY 2025-26, the Promoter i.e., President of India acting through Department of Financial Services has sold shares through Offer for Sale (OFS) which has helped the Bank in achieving the Minimum Public Shareholding norms as per SEBI Regulations..
- ii. As of March 31, 2026, the capital adequacy ratio stood at 18.36%, comfortably exceeding the regulatory requirement of 11.50% (including the Capital Conservation Buffer) under Basel III norms. The Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio was robust at 14.59%
- iii. The proposal of Raising of Capital upto Rs. 7,500/- crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore) by way of equity capital by issue of equity shares on preferential allotment basis to GOI/ LIC/ FI and /or by way of Qualified Institutional Placement (QIP) / Follow-on Public Offer (FPO)/ Rights/ ESPS Issue etc. and/or Basel III Additional Tier I Bonds and / or Tier II Bonds is to meet the CRAR requirement under Basel III as per extant SEBI guidelines. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- iv. The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- v. The Board of Directors at their meeting held on 20th April, 2026 have given their approval to raise an equity capital upto Rs.7,500/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- vi. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.10000 crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2026 is Rs. 7691.56 crore.
- vii. The Present resolution is proposed in order to enable the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.
- viii. The equity shares issued shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

None of the Directors, Key Managerial Personnel or their relatives are interested in the Resolution.

By order of Board of Directors

**Date : 6<sup>th</sup> June, 2026**  
**Place : Pune**

**Vishal Sethia**  
Company Secretary & Board Secretary

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** 134/1, 'मॉन्टक्लेयर' बाणेर - पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021.  
**प्रधान कार्यालय:** "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

**Corporate Office:** 134/1, "Montclair", Baner - Pashan Link Road, Pashan,  
Pune - 411021, Maharashtra, India.

**Head Office:** "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005.

**टेली/ Tel.:** 020-71658139

**ई-मेल/ E-mail:** [investor\\_services@bankofmaharashtra.bank.in](mailto:investor_services@bankofmaharashtra.bank.in)

**वेबसाइट/ Website:** [www.bankofmaharashtra.bank.in](http://www.bankofmaharashtra.bank.in)